प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा.0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
मुख्य ब्रांच, नई दिल्ली।

संख्या 4031 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 17 जनवरी,2024

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या– 196/2022 हरिओम गुप्ता एव अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या–196/2022, हरिओम गुप्ता एव अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09–01–2024 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 15–01–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

17/1/24

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. मे पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता मे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. मे पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये है:–

"...........In view of the facts and circumstances explained therein we consider presence of the National Highway Authority of India and the contractor engaged by it for the project to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly National Highway Authority of India and the contractor engaged by it for the project are impleaded as respondents in miscellaneous application in addition to the respondents originally impleaded in the original application.

3. In order to synchronise the memo of parties in the miscellaneous application with the memo of parties in the original application, in addition to respondent No. 1 Nagar Palika Parishad, respondent No. 2 Ms. Shalini Gupta, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, respondent No. 3 District Forest officer, Ghaziabad impleaded in the O.A No. 196/2022, State of U.P., UPPCB, District Magistrate Ghaziabad, NHAI and the contractor engaged by it for the project stand impleaded as respondents No. 4 to 8 in the miscellaneous application. The registry is directed to amend memo of parties and attach the same with the miscellaneous application......

4. Notices be issued to newly added respondent No. 7 NHAI and respondent No. 8 the contractor engaged by it.

5. Mr. Balendu Shekhar, Advocate has appeared and accepted notice on behalf of NHAI.

6. Respondent No. 7 NHAI is directed to give particulars of the contractor engaged by it for the project and also to serve the notice on said contractor for the date fixed.

7. Respondents No. 1, 6, 7 and 8 are directed to comply with the directions issued by UPPCB in exercise of powers conferred on it by the environmental legislations and also to specifically mention in their reply/response action taken by them in compliance of such directions issued by UPPCB.

9. It may also be observed here that UPPCB cannot be a silent spectator to the violations of the Solid-Waste Management Rules 2016 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and mere issuance of show cause notices without taking of appropriate action on the same or issuance of directions without implementation of the same cannot

achivev the object of protection of environment. The UPPCB is directed to take action for imposition of environmental compernsation and also prosecution of the concerned officers and the contractor alleged to have violated the environmental norms.

4. List the matter for further consideration on 19.1.2024

मा0 राष्ट्रीय हरति अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09–01–2024 को पारित आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु दिनांक 15–01–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न करायी गयी । बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :–

1– श्री विकास मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद ।
2– श्री अरविन्द कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एन0एच0ए0आई0 गाजियाबाद ।
3– श्री आर0के0 पाण्डेय, साईट इंजीनियर, एन0एच0ए0आई0 गाजियाबाद ।
4– श्री कृष्ण कान्त मिश्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद।
5– श्री कुंवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद।
6– श्री एन0के0पाण्डेय, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है :–

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एच0–709, अंसल स्टेट के सामने स्थित क्षेत्र में सीवेज के निस्तारण हेतु सवीवेज ट्रीटमेन्ट सिस्टम एवं सीवेज कैरिंग नेटवर्क (पाईप लाईन) स्थापित नहीं है । घरेलू जनित मल–मूत्र के निस्तारण हेतु घरों में सेप्टिक टैंक–सोक पिट स्थापित है तथा अन्य घरेलू प्रकियाओं यथा दैनिक दिनचर्या एव साफ–सफाई इत्यादि से जनित पानी को ड्रेन के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, जोकि समुचित सीवेज एवं जल निकासी न होने के कारण सेक्टर–1 ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी, लोनी गाजियाबाद पर ग्रीन वेल्ट क्षेत्र, अंसल स्टेट, मन्दिर क्षेत्र में भरा हुआ है। उक्त जल भराव क्षेत्र की समय –समय पर नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा अस्थाई तौर पर लगातार साफ–सफाई करायी जाये।
(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी)

एन0एच0ए0आई0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टर सी–1, ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी, लोनी गाजियाबाद पर ग्रीन वेल्ट क्षेत्र, अंसल स्टेट मन्दिर क्षेत्र में जल भराव उनके द्वारा किये गये है निर्माण कार्य से पहले से भरा हुआ है, जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है । उनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के स्ट्राम वाटर हेतु नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और उनके द्वारा कोई भी ड्रेन क्षतिग्रस्त नहीं की गयी है ।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि उक्त क्षेत्र में अमृत–2 योजना के अन्तर्गत जल निकासी निस्तारण हेतु जल निगम को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये ।

(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी/अधीक्षण अभियन्ता जल निगम गाजियाबाद)

अन्त में धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया ।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी 15/01/24
गाजियाबाद